bcms No:- 2024/273 फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी

आडाणी हॉउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड,प्लॉट नम्बर 47,महादेव टॉवर,न्यू कोहिनूर सिनेमा के सामने,
प्रतापनगर,जोधपुर जरिऐ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री मोहितसिंह राठौड़

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री सफी मोहम्मद पुत्र श्री गनी पता–सूदवाड़,रियांबड़ी,नागौर 341031
2. श्रीमती बाना बानु पत्नी सफी मोहम्मद पता–सूदवाड़,रियांबड़ी,नागौर
3. श्री मोहम्मद आमीन पुत्र सफी मोहम्मद पता–चरणू का बास,सूदवाड़,तह0रियांबड़ी

226

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.11.2024	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण/ऋणी को रूपये 9,90,000/–ऋण सुविधा दिनांक 18.05.2022 को आवासीय एवं OD ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज् में खसरा नम्बर 138 का हिस्सा,खाता संख्या 263(पुराना) एवं 261(नया) गॉव सुदवाड़ एरिया 170.17 वर्ग गज में स्थित आवासीय जायदाद मय इमारत एवं समस्त पार्टस प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक रखा जाना प्रकट किया हैं तथा इस बंधक सम्पत्ति का प्रार्थना–पत्र के पैरा नम्बर 7 में दर्ज पाड़ौस बीच की सम्पति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इन नियमों के तहत पुलिस इमदाद चाही हैं। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में प्रस्तुत विकय पत्र खातेदारी हको का दिनांक 21.01.2021 का अवलोकन किया गया। उक्त विकय पत्र अनुसार मौजा सुदवाड़ की आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0300 है. किस्म गै0मु0 बाड़ा का विकय खातेदार मिसरखां पुत्र करीमखां जाति–लौहार निवासी–सूदवाड़ द्वारा (1) अनवर अली (2) सफी मोहम्मद (3) शोकत अली पुत्रगण गनीखां (4) भवरी बानो पत्नी शकूर खां जातियान मुस्लिम को किया गया हैं। बख्शीशनामा दिनांक 16.03.2022 के अनुसार इस कय सुदा आराजी में से सफी मोहम्मद द्वारा अपना 1/4 वॉ हक हिस्सा बाना बानू पत्नी सफी मोहम्मद को बख्शीश किया गया हैं तथा इस बख्शीश सुदा आराजी को कम्पनी के पक्ष में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया। प्रस्तुत विकय पत्र के अनुसार प्रश्नगत भूमि (1) अनवरी अली (2) शोकतअली (3) भंवरी बानो की सहखातेदारी की भूमि हैं। इन तीनों सहखातेदारों की इस ऋण में किसी प्रकार की सहमति होने को कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार बिना सहखातेदारों की सहमति के सहखातेदारी भूमि के विशेष भू भाग का कब्जा प्राप्त करने या देने का अधिकार प्रार्थी कम्पनी को नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा जारी रिपोर्ट की प्रति पेश की हैं,जिसमें पटवारी हल्का सूदवाड़ श्री महिपाल चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि यह क्षेत्रफल सफी मो. व उनके भाईयों ने अपनी सहमति से इस एरिये का विभाजन किया हैं। जबकि पत्रावली में ऐसा कोई विभाजन का दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। इसलिए संयुक्त खातेदारी की भूमि के विशेष भू भाग का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी प्रार्थी नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पटवारी हल्का सूदवाड़ द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेज के विभाजन एरिया की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। (अरूण कुमार पुरोहित) जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, नागौर	